



बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।
हरियाली मिशन

कार्यान्वयन अनुदेश .2013–2014

योजना :- कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना

योजना क्रमांक :- 02

उद्देश्य

- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण
- हरियाली बढ़ाना एवं पर्यावरण शुद्धिकरण
- बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15 % वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाना
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना

रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य

क्र० सं०	वर्ष / लक्ष्य	2012—13	2013—14	2014—15	2015—16	2016—17	कुल
1	पॉप्लर ई० टी० पी० उत्पादन	6.2	33.5	103	135.101	151.6	429.401
2	दूसरे राज्यों से ई० टी० पी० क्रय / आई० सी० एफ० आर० ई० से प्राप्ति	8	25	12	5	0	50
3	कुल ई० टी० पी०	14.2	58.5	115	140.101	151.6	479.401
4	रोपण हेतु ई० टी० पी० की आपूर्ति	4.9	30	77	98	151	360.9

किसानों के चयन की प्रक्रिया

आवेदन पत्रों की प्राप्ति

वन प्रमंडल पदाधिकारी / क्षेत्रीय वन पदाधिकारी के कार्यालय

आवेदन के साथ संलग्न कागजात

- भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र / अद्यतन लगान रसीद की छायाप्रति / राजस्व रसीद / शपथ पत्र-प्रमाण पत्र / घोषणा पत्र।
- बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

चयन हेतु मुख्य बिंदु

- समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर
- वन प्रमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा चयन
- कृषकों की अपनी निजी जमीन/लीज पर जमीन होनी चाहिए
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को नियमानुसार प्राथमिकता
- वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी कृषकों की सूची मिशन निदेशक, हरियाली मिशन को उपलब्ध कराना

चयन समिति

वन प्रमंडल पदाधिकारी (अध्यक्ष)

जिला कृषि पदाधिकारी (सदस्य)

जिला वागवानी पदाधिकारी (सदस्य)

चयन की प्रक्रिया

- दो हेक्टेयर से अधिक भूमि में ब्लॉक वृक्षारोपण के इच्छुक कृषकों को वरीयता
- कृषक बंधु समूह में भी आवेदन कर सकते हैं
- **“पहले आओ, पहले पाओ”** के आधार पर चयन
- अधिक वृक्ष लगाने वाले को प्राथमिकता
- कृषकों का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा

प्रशिक्षण

- वरीय पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय तकनीकी एवं प्रशासनिक ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- वन प्रमंडल स्तर पर मास्टर ट्रेनर को तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी
- जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभुक किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण
- वनपाल एवं वनरक्षी को पौधा रोपण, रख-रखाव, तैयारी एवं उपचार के लिए विस्तृत रूप से प्रशिक्षण
- अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण

स्रोत / उत्पादन

1. किसान मुख्यमंत्री निजी पौधशालाओं से गुणवत्ता युक्त पौधों (ई0 टी0 पी0) की प्राप्ति
2. हरियाली मिशन मुख्यालय से हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों से पॉप्लर ई0 टी0 पी0 का क्रय

पॉप्लर रोपण हेतु न्यूनतम दस फीट ऊँचाई एवं 2.5 ईंच गोलाई के पौधों का चयन अनिवार्य है

कार्य विवरण

कृषक बंधुओं के द्वारा ही कृषि वानिकी रोपण संबंधी सभी कार्य किये जाएंगे

पॉप्लर पौधों का उपचार एवं रख-रखाव

- जड़ सहित उखाड़कर बीस बीस के बंडल में बांधना
- बंडल को अतिशीघ्र साफ पानी में पूरी तरह अड़तालीस घंटे तक भिगोना
- 24 घंटे के पश्चात् पानी को बदल देना चाहिए
- पौधा वितरण के पूर्व इसके जड़ वाले भाग को एक प्रतिशत व्यभिष्टिन (फफूंदनाशक) के घोल में डुबाकर रोपण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

कृषकों को देय लाभ

- देय राशि का भुगतान निम्नवत 03 किस्तों में
 - 50 प्रतिशत से अधिक स्तरीय पौधों की जीवितता होने पर ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान
- 1 प्रथम वर्ष के अंत में रुपये 15/— प्रति पौधा
- 2 दूसरे वर्ष के अंत में रुपये 10/— प्रति पौधा
- 3 तीसरे वर्ष के अंत में रुपये 10/—प्रति पौधा
- प्रोत्साहन राशि का भुगतान शिविर लगाकर चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

नोट

- यदि प्रथम से द्वितीय किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरेक राशि का भुगतान हो गया हो तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम किस्त का भुगतान किया जायेगा।

वन विभाग के पदाधिकारियों / अधिकारियों / कर्मियों के कर्तव्य एवं दायित्व

- हरियाली मिशन मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरंक्षी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इस योजना के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे
- संबंधित पदाधिकारी इस योजना का प्लान एवं लक्ष्य के आधार पर ई0 टी0 पी0 प्राप्त करेंगे, लाभकों का चयन करेंगे,
- कृषकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त का भुगतान समय-सीमा के अंदर, टाईम लाईन के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करेंगे

वन संरक्षक

- कृषकों का चयन समय पर कराने हेतु चयन समिति की बैठक करवाना
- पॉप्लर ई0 टी0 पी0 को समय रहते वन प्रमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना
- पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण के बाद स्थल का औचक निरीक्षण करना
- विवाद को सुलझाना/मुख्यालय को सूचित करना
- हरियाली मिशन मुख्यालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करवाना एवं उसकी कार्य प्रगति का विवरण मुख्यालय को उपलब्ध करवाना

वन प्रमंडल पदाधिकारी

- वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पॉप्लर ई० टी० पी० का किसानों से क्रय कर सुरक्षित वन क्षेत्र कार्यालय तक पहुंचवाना
- पॉप्लर ई० टी० पी० के रख-रखाव तथा उसके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना
- आवेदन-फार्म का जमा करवाना एवं किसानों को चयन करने हेतु वन संरक्षक को सूची उपलब्ध कराना
- प्रशिक्षण के लिए तिथि एवं परिसर का इंतजाम करवाना
- प्रोत्साहन राशि का चेक/ड्राफ्ट वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना
- वितरित चेक और अवितरित चेक/ड्राफ्ट का विवरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना
- रेडम चेकिंग करना।

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी

- संलग्न कागजात की जाँच करना
- समय पर पॉप्लर ई० टी० पी० किसानों से लेना एवं किसानों को वितरित करना
- प्रोत्साहन राशि लाभुकों/किसानों को वितरण करना
- वितरित चेक और अवितरित चेक का विवरण वन प्रमंडल पदाधिकारी को देना
- किसानों का जिला स्तर पर प्रशिक्षण करवाना
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचित करना

वनपाल / वनरक्षी

- जीवित पौधों की गणना कर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना
- लाभुको को तकनीकी जानकारी देना एवं कृषि वानिकी की सुरक्षा में सहायता करवाना
- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के साथ पॉप्लर ई० टी० पी० का वितरण करना
- जमीन के खतिहान / खेसरा / रसीद की जाँच में मदद करना
- किसी भी प्रकार के पॉप्लर ई० टी० पी० में दिक्कत आने पर क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना

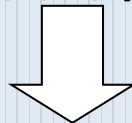
लक्षित जिला

बिहार के सभी जिलें।

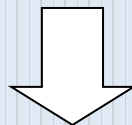


फलो चार्ट

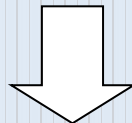
वन प्रमंडल पदाधिकारी / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा आवेदन की प्राप्ति



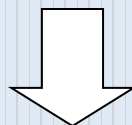
लाभार्थी कृषकों की सूची तैयार करना।



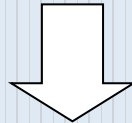
सूची के अनुसार जमीन का भौतिक सत्यापन



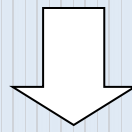
अंतिम सूची की तैयारी वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करना।



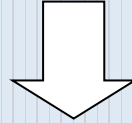
समिति द्वारा लाभुकों का चयन करना।



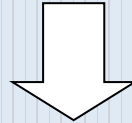
वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूची के आधार पर स्वीकृत्यादेश निर्गत करना।



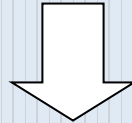
लाभुकों द्वारा गडढ़ों की खुदाई करना



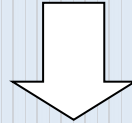
पॉप्लर ई० टी० पी० की आपूर्ति



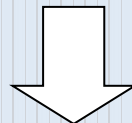
लगाये गये पॉप्लर ई० टी० पी० का सत्यापन



रैंडम चेकिंग



सहायतानुदान राशि का चेक वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करना



वन प्रमंडल परिसर में शिविर लगाकर चेकों का वितरण

प्री ऑडिट चेक लिस्ट

- वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा लाभुकों की सत्यापित सूची तैयार करना
- स्वीकृत्यादेश की प्रति
- कार्य निष्पादित क्षेत्र का फोटो शपथ-पत्र
- व्यय विवरणी ।
- स्वीकृत्यादेश में स्वीकृत रकमे के अनुरूप सत्यापन एल0 पी0 सी0/लीज कागजात/ किराया रसीद/राजस्व रसीद/शपथ पत्र-प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र ।
- राशि का भुगतान की प्रति

अनुश्रवण

क्र०	पदाधिकारियों का नाम	पदनाम
1.	श्री दीपक कुमार	परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी
2.	श्री चाँद रहमानी	प्रोग्राम मैनेजर, वित्तीय
3.	श्री नवल किशोर राजू	प्रोग्राम मैनेजर, ग्रामीण
4.	श्री अरविन्द कुमार	प्रोग्राम मैनेजर, वानिकी
5.	श्री संजीव रंजन	तकनीकी पदाधिकारी, वानिकी
6.	श्री राजीव कुमार	तकनीकी पदाधिकारी, वानिकी
7.	श्री विपिन कुमार	तकनीकी पदाधिकारी, कृषि वानिकी
8.	श्री निखिल रंजन कुमार	सांख्यिकी पदाधिकारी

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

कृषि वानिकी (पॉपुलर ई0 टी0 पी0) योजना

प्रपत्र-02/01

आवेदन

कार्यालय उपयोग हेतु
किसान विशिष्ट पहचान संख्या -
HAR/...../...../...../...../.....
योजना जिला प्रखंड क्र.सं. वर्ष

आवेदक का नाम
पिता/पति का नाम
पता
वन प्रमंडल का नाम
प्रखंड का नाम
पिन नं०
लिंग-पुरुष/महिला

वन क्षेत्र का नाम
जिला का नाम
मोबाईल नं०

कोटि- अनुसूचित जनजाति ☐ अनुसूचित जाति ☐ पिछड़ा वर्ग महिला ☐ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐
पिछड़ा वर्ग ☐ विकलांग ☐ अल्पसंख्यक ☐ सामान्य ☐

पौधशाला स्थल की विवरणी :-

क्र०	जमीन मालिक का नाम/जमीन का पता	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)

सिंचाई की सुविधा - राजकीय नहर ☐ नलकूब ☐ निजी पंपिंग सेट ☐ अन्य ☐

घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गयी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। पौधे आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधारोपण करूँगा/करूँगी एवं मिशन/वन विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का अनुपालन करूँगा /करूँगी। ऊपर में दी गयी सभी जानकारी/कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

नोट :- आवेदन-पत्र के साथ सभी प्रमाण-पत्रों/कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें :-

(1) एल0 पी0 सी0/प्रस्तावित जमीन का अद्यतन रसीद/ लीज पर लिया गया जमीन की छायाप्रति/राजस्व रसीद/शपथ पत्र-प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।

(2) पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
“हरियाली मिशन”

प्रपत्र-02/02 (2013-14)

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई० टी० पी०) योजना

वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्यालय

प्रमंडल का नाम :-

जिला का नाम :-

[illegible]

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

“हरियाली मिशन”

आदेश

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना
प्रपत्र-02/03 (2013-14)

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन प्रमंडल

सेवा में,

.....
.....

विषय :- कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) ससमय रोपण कार्य न करने एवं शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर
स्वीकृत्यादेश रद्द करने के संबंध में।

दिनांक :-

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको पत्रांक—..... दिनांक —
..... के द्वारा सूचित किया गया था कि आप ससमय वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवंटित
पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण हेतु प्राप्त कर लें। पॉप्लर ई0 टी0 पी0 ससमय प्राप्त न करने और शर्तों का अनुपालन नहीं करने के
कारण इस कार्यालय द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश रद्द किया जाता है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
..... वन प्रमंडल

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
“हरियाली मिशन”
प्रपत्र-02/04 (2013-14)

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना
भुगतान हेतु आवेदन-पत्र एवं स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

कार्यालय उपयोग हेतु			
किसान विशिष्ट पहचान संख्या –			
HAR/	-----/-----/-----/-----/-----/		
योजना	जिला	प्रखंड	क्र0 सं0
	वर्ष		

वन प्रमंडल पदाधिकारी :-

वन प्रमंडल :-

किसान हेतु

महाशय,

मैं पिता/पति वन प्रमंडल वन क्षेत्र जिला मेरे द्वारा कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजनातर्गत पॉप्लर के पौधों का रोपण किया गया है। मेरे द्वारा कुल पॉप्लर ई0 टी0 पी0 प्राप्त किये गए। जिसमें प्रथम किस्त हेतु कुल..... पौधें स्वस्थ एवं जीवित पाये गये हैं। अतः मुझे प्रथम किस्त देने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

(किसान का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम या बायें हाथ के अंगूठे का निशान)

धन्यवाद